



एच आर / SSC / ग्रेच्युटी / SA/2020/01/

133

सदस्य सचिव,
भा0 वि0 प्रा0 समूह उपदान निधि ट्रस्ट
निगमित मुख्यालय, राजीव गांधी भवन,
नई दिल्ली - 110003

AAI RETIREMENT GRATUITY CLAIM NO. 188/2020 (APRIL' 2020) - TOTAL 57 CASES

विषय : सेवानिवृत्ति / अधिवाषिता संबंधी मामलों के संबंध में उपदान (ग्रेच्युटी)

दावों के लिए RTGS द्वारा राशि का प्रेषण : अप्रैल, 2020

महोदय,

1. **अप्रैल, 2020** में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की सेवा से अलग हुए **57 कर्मचारियों** के संबंध में उपरोक्त योजना के तहत LIC of India, New Delhi ने उपदान (ग्रेच्युटी) की कुल राशि **₹ 10,09,74,137.00** निपटान हेतु SBI बैंक, राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली के खाता सं० 11084230491 में आपके द्वारा प्रेषित सूचनानुसार प्राप्त हो गयी है। अतः यह अनुरोध किया जाता है कि भा0 वि0 प्रा0 की सेवा से अलग हुए कर्मचारियों की उपदान की राशि के निपटान के लिए संलग्न दावा विवरण के अनुसार RTGS के माध्यम से सभी संबंधित कर्मचारियों एवं क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशकों/विमानपत्तन निदेशकों को इस कार्यालय को अवगत कराते हुए यथाशीघ्र प्रेषित कर दें। ग्रेच्युटी दावा विवरण निगमित मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक/विमानपत्तन निदेशक द्वारा भेजी गयी जानकारी एवं लिखित आश्वासन की पुष्टि पर तैयार की गई है की सभी भेजे गए संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी अनुशासनिक तथा सर्तकता की दृष्टि से स्वच्छ है और उन पर किसी भी प्रकार की अनुशासनिक तथा सर्तकता कार्यवाही लंबित नहीं है।

क्षेत्र / हवाई अड्डा	राशि (रुपये में)	मामलों की संख्या
चैन्नई, हवाई अड्डा	58,30,663.00	03
एन एस सी बी आई हवाई अड्डा, कोलकाता	48,94,001.00	03
उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली	2,86,94,647.00	17
पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता	1,12,67,573.00	06
पूर्वोत्तर क्षेत्र, गुवाहाटी	20,00,000.00	01
पश्चिमी क्षेत्र, मुंबई	1,54,66,787.00	10
दक्षिणी क्षेत्र, चैन्नई	1,68,20,466.00	09
निगमित मुख्यालय, नई दिल्ली	1,60,00,000.00	08
कुल =	10,09,74,137.00	57

2. इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति/निर्देशानुसार सभी क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशकों/विमानपत्तन निदेशकों/सदस्य सचिव, AAI GGFT से यह निवेदन किया जाता है कि उपरोक्त ग्रेच्युटी दावों में से CAD Pension Cell द्वारा प्राप्त संलग्न सूची में दर्शाये गये सभी **18 CAD Govt. Pension Optees** की उपदान की राशि, संबंधित कर्मचारी को भुगतान करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा उपरोक्त पेंशन की स्वीकृति से पहले इनके द्वारा दिया जाने वाला संपूर्ण भुगतान **recoverable/payable amount** क्षेत्रीय मुख्यालय एवं विमानपत्तन को किया जा चुका है। यदि कटौती में कोई कमी रह गयी हो तो उसका समायोजन उपदान (ग्रेच्युटी) की राशि से कर लें।

3. वित्त निदेशालय, नई दिल्ली द्वारा जारी किये गये पत्र सं० एएआई/जी जी एफ टी/सर्कुलर/2019-20 दिनांक 15.10.2019 के अनुसार अब भा.वि.प्रा.सामूहिक उपदान निधि ट्रस्ट, नई दिल्ली द्वारा उपदान की राशि नये प्रावधान के तहत SAP-ERP के माध्यम से TDS/Recoveries का समायोजन करके कर्मचारी के बैंक खाते में RTGS द्वारा भेजी जायेगी। अतः सभी संबंधित कर्मचारियों के सत्यापित बैंक खाते व समायोजन के उपरांत देय उपदान राशि की सही सूचना को सदस्य सचिव, भाविप्रा.सामूहिक उपदान ट्रस्ट निगमित मुख्यालय, राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली को अगर अभी तक नहीं भेजी गयी है तो यह जल्द से जल्द भिजवाने की कृपा करें।

भवदीय,
अनिता खुल्लर
(अनिता खुल्लर)

संयुक्त महाप्रबंधक (मानव संसाधन)

संलग्नक : देय उपदान की राशि की विवरणी

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

- कार्यपालक निदेशक, (वित्त एवं लेखा)-I, निगमित मुख्यालय, राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली
- कार्यपालक निदेशक - (मानव संसाधन) / (प्रशासन), निगमित मुख्यालय, राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक / विमानपत्तन निदेशक / महाप्रबंधक (मानव संसाधन) -

(उत्तरी / पूर्वी/पूर्वोत्तर/पश्चिमी/दक्षिणी क्षेत्र एवं चैन्नई/एनएससीबीआई हवाई अड्डा / निगमित मुख्यालय)

कार्यपालक निदेशक, आई ए यू (आर सी डी यू), नई दिल्ली / प्रधानाचार्य, सीएटीसी, इलाहाबाद

महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी) - भा0 वि0 प्रा0 की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए

इसके साथ ही सभी संबंधित निगमित मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशकों/विमानपत्तन निदेशकों को यह सूचित किया जाता है निगमित मुख्यालय के पत्र सं० एच आर/जीजीसीए/एस ए/ग्रेच्युटी/2015/292 दिनांक 13.10.2015 तथा एच आर/जीजीसीए/पालिसी/2009/285, 1538 एवं 440 दिनांक 08.08.2011, 04.03.2013 एवं 17.05.2017 के अनुसार केवल उन्ही कर्मचारियों के उपदान की जानकारी इस अनुभाग को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजी जाये जो कि **Vigilance and Disciplinary angle** से स्वच्छ है। इस संदर्भ में यह अवश्य सुनिश्चित किया जाये कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा लगायी गयी पेनल्टी समायोजित करके ही मूल वेतन निर्धारित किया गया है एवं उसके हिसाब से ही सही ग्रेच्युटी राशि की गणना करके निगमित मुख्यालय को भेजी जाये। सचिव, भा0 वि0 प्रा0 समूह उपदान निधि ट्रस्ट से ग्रेच्युटी भुगतान की जानकारी प्राप्त होने के बाद संबंधित प्रविष्टि को कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में पुनः अवश्य अंकित किया जाए।